28-12-2022

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम–1996 के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के पत्रांक–प.12(1)शिक्षा–2/अनु.नियु.प्रयो.सहा./2016 दिनांक 27.03.2017 एवं 03.10.2017 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के कुल 25 अभ्यर्थियों का अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम–1996 के तहत नियुक्ति का अनुमोदन कर उनके नाम के सम्मुख अंकित जिला आवंटित किया जाता है।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तो की पालना सुनिश्चित करेंगेः–

1 मृतक आश्रितों को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा समय–समय जारी अधिसूचनाओं के आधार पर आवेदक की पात्रता का सघन परीक्षण करे एवं आवेदकों की जन्मतिथि, शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जांच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जाँच करेंगे।

2 मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र/राज्य सरकार या कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो कि पूर्णतः या भागतः केन्द्र/किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन (सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय या आश्रित के नियुक्ति के समय पर) नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित नहीं हो एवं न ही पूर्व में किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गई है। इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम–5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें (मृतक की पत्नी स्वयं के लिए नियोजन प्राप्त करने पर यह नियम लागू नहीं होगा।)

3 मृतक की अविवाहित पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो, उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है, इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें। कार्मिक विभाग की अधिसूचना 28.10.2021 के क्रम में प्राप्त प्रकरणों में आवेदकों की पात्रता का परीक्षण कर संतुष्ट होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश जारी करे।

4 आवेदक पति/पत्नी होने पर कार्यग्रहण तिथि तक पुनः विवाह नहीं किया है, का शपथ पत्र(प्रारूप संलग्न) का शपथ–पत्र प्राप्त करें ।

5 आवेदनकर्ता यदि विवाहित है तो आवेदक एवं पति/पत्नी (दोनों से) से बिन्दू संख्या–2 के अनुसार नियोजित नहीं होने का शपथ पत्र प्राप्त करें।

6 कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

7 दत्तक पुत्र–पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे।

8 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–7(1) कार्मिक (क–2) (95) दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.2005 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे (प्रारूप संलग्न)।

9 संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल–08 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय रूपये 18500/–प्रतिमाह पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।

10 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।

11 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।

12 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांकः–एफ–12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.17 के अनुसार देय होगा।

13 वित्त विभाग के आदेश क्रमांकः–प.2(2)वित्त(नियम)2021 पार्ट जयपुर दिनांक 25.05.2022 एवं 26.05.2022 तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुसार सामान्य प्रावधायी निधि की नियमानुसार मासिक कटौती की जावेगी।

लगातार 02

Rajasthan Education Department

1/4

14 प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-2021 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिए।

15 संलग्न सूची में कतिपय अभ्यर्थियों के नाम/पिता का नाम/उपनाम/जन्मतिथि में सत्यापन से कोई त्रुटि रह गई है तो उन प्रकरणों में अभ्यर्थी के आवेदन पत्र एवं संलग्न प्रमाण पत्रों से मिलान कर अपने स्तर पर उसे दुरुस्त करें। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं मृतक कर्मचारी के राजकीय दस्तावेज में नाम/उपनाम में परिवर्तन होने पर आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त कर नियुक्ति आदेश जारी करें।

16 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात ही आदेश जारी करेंगे।

17 आवेदक द्वारा दहेज न लिए जाने का स्व घोषणा पत्र।

18 आवेदक द्वारा धूम्रपान/मद्यपान नहीं करने एवं गुटखा नहीं खाने का स्व-घोषणा पत्र अन्य घोषणाओं के साथ।

19 आवेदक द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र।

20 राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-5(61)डीओपी/ए-II/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.2016 के अनुसार नियम-5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।

21 कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक प.5(61) कार्मिक/क-2/88 पार्ट, जयपुर दिनांक 31.05.16 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।

22 आवेदक की सेवा-पुस्तिका में लाल स्याही से यह अंकित किया जावें कि श्री/सुश्री/श्रीमती............ को इनके माता/पिता/पति की मृत्यु पर मृत राज्य कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नियम-1996 के अनुसार नियुक्ति प्रदान की गई है।

संलग्नः- अनुमोदित अभ्यर्थियों की सूची (25 अभ्यर्थी)

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/अनु.नियु./ए-4/61233/प्रशास ग्रेड-III/नियु. अनुमोदन/2022-23 दिनांक : 28-12-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2)विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान-सरकार, जयपुर।
2. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा..............................को संलग्न सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों का प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III के पद पर सीधी भर्ती वर्ष 2021-22 हेतु प्रेषित अर्थना में जिलेवार विज्ञापित पदों को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावें एवं पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र पुनः इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से भिजवायें।
4. सहायक निदेशक, मोनिटरिंग अनुभाग, कार्यालय हाजा।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मु. मा. पदस्थापन की आदेश की प्रति आवश्यकरूप से इस कार्यालय को भिजवावें
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक – शिविरा–मा / अनु.नियु / ए–4 / 61233 / प्रशास ग्रेड–III / नियु.अनुमोदन / 2022–23 दिनांक – 28.12.2022

मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदित 25 अभ्यर्थियों की जिला आवंटन सूची

क्र.सं.	शैक्षणिक योग्यता (BSER/ CBSE/ NIOS ETC)	मृतक से संबंध	मृ. रा. क. का नाम, पद एवं पदस्थापन स्थान	मृत्यु तिथि	आवेदन तिथि	आवंटित जिला
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री दीपेन्द्र कुमार यादव 12वीं विज्ञान 25.08.1994	विवाहित पुत्र	स्व. श्री सुगन राम यादव अध्यापक राउमावि, गादोज, बहरोड, अलवर	10.04.22	05.05.22	अलवर
2	श्री राहुल कुमार 12वीं विज्ञान 14.09.1997	अविवाहित पुत्र	स्व. श्री शीशराम शारीरिक शिक्षक ग्रेड–III राउमावि, सराय, झुंझुनूं	21.07.22	22.08.22	झुंझुनू
3	श्री मुहम्मद उसामा 12वीं विज्ञान 20.06.1999	अविवाहित पुत्र	स्व. श्री हारून रशीद अध्यापक राउप्रावि खेड़ला, वजीरपुर, सवाई माधोपुर	09.06.22	14.07.22	सवाई माधोपुर
4	श्री जितेन्द्र चौधरी 12वीं विज्ञान 08.12.1992	विवाहित पुत्र	स्व. श्री गुणेशाराम अध्यापक राप्रावि, हमीरसिंह की ढाणी, बाड़मेर–आगोर, बाड़मेर	08.07.21	12.08.21	बाड़मेर
5	श्री योगेश राठौर 12वीं विज्ञान 13.07.1996	अविवाहित पुत्र	स्व. श्री सत्यनारायण राठौड़ प्रबोधक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भौराजेडी (अन्ता) बारां	05.12.20	09.02.21	बारां
6	श्री अजीत सिंह 12वीं विज्ञान 12.01.1993	विवाहित पुत्र	स्व. श्री जलसिंह वरिष्ठ सहायक राउमावि, जरगा, बरोडी, धौलपुर	01.05.22	15.06.22	धौलपुर
7	श्री श्रीकान्त पटवा 12वीं विज्ञान 08.11.1991	विवाहित पुत्र	स्व. श्री भूपेन्द्र कुमार चोहान अध्यापक राबाउमावि, आकोला, भूपालसागर, चित्तौडगढ	09.06.22	12.07.22	चित्तौड़गढ़
8	किशनलाल 12वीं विज्ञान 14.08.2001	अविवाहित भाई	स्व. श्री विजयकुमार कनिष्ठ सहायक रामावि, राजपुरा, सिरोही	16.10.21	18.11.21	सिरोही
9	श्री कौशल कुमार मीणा 12वीं विज्ञान 15.05.2000	अविवाहित पुत्र	स्व. श्री विजेन्द्र कुमार मीणा प्रबोधक राउप्रावि, खूण्डरी, करौली	17.01.22	08.03.22	जयपुर
10	श्रीमती सुशीला 12वीं विज्ञान 07.01.2002	पत्नी	स्व. श्री ललित बिश्नोई अध्यापक लेवल–02 राबाउप्रावि, ओढाणिया, जैसलमेर	16.09.21	01.12.21	जोधपुर
11	श्री मोहित कुमार 12वीं विज्ञान 01.01.2003	अविवाहित पुत्र	स्व. श्री बेगाराम खीचड़ अध्यापक लेवल–2, रा.उ.मा.वि. भदेरा, पं. स. नवलगढ़ (झुंझुनू)	11.05.18	05.08.21	झुंझुनू
12	श्री राजवीर सिंह चौधरी 12वीं विज्ञान 21.10.2003	अविवाहित पुत्र	स्व श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी वरिष्ठ सहायक रा.उ.मा.वि., देवन, (शाहपुरा) जयपुर	25.09.18	11.08.20	जयपुर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

3/4

क्र.सं.	शैक्षणिक योग्यता (BSER/ CBSE/ NIOS ETC)	मृतक से संबंध	मृ. रा. क. का नाम, पद एवं पदस्थापन स्थान	मृत्यु तिथि	आवेदन तिथि	आवंटित जिला
13	श्री कर्णदीप गोदारा 12वीं विज्ञान 04.08.1996	विवाहित पुत्र	स्व. सुरेन्द्र कुमार गोदारा वरिष्ठ अध्यापक रामावि, 6एचएलएम, पीलीबंगा, हनुमानगढ़	09.09.21	19.04.22	हनुमानगढ़
14	श्री रोहित सियाग 12वीं विज्ञान 13.11.1993	अविवाहित पुत्र	स्व. श्रीमती संतोश सिहाग प्रबोधक राबाउप्रावि, मेलूसर बीकान सरदारशहर, चूरू	14.10.21	10.12.21	चूरू
15	श्री दीपेश शाह 12वीं विज्ञान 09.04.1986	विवाहित पुत्र	स्व. श्रीमती मधुबाला शाह अध्यापक लेवल–01 राबामावि, आजना, बांसवाड़ा	15.11.21	04.01.22	बांसवाड़ा
16	भारत कुमार कुमावत 12वीं विज्ञान 01.07.1988	विवाहित पुत्र	स्व. श्री पाबूदान कुम्हार प्रधानाध्यापक महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय किरडोली, प.स.–धोंद, सीकर	28.07.22	25.08.22	झुंझुनूं
17	जनक कुमार खत्री 12वीं विज्ञान 13.08.2000	पुत्र	स्व. श्रीमती प्रेमलता खत्री अध्यापक राउप्रावि सिन्धी कॉलोनी, पाली	13.11.21	04.01.22	पाली
18	श्री नरेन्द्र कालेश्वर 12वीं विज्ञान 19.09.1996	अविवाहित पुत्र	स्व. श्री सुखाराम कालेश्वर शारीरिक शिक्षक राउमावि, बोरनडी, तह.–मारवाड़ जंक्शन, पाली	28.06.22	27.07.22	पाली
19	श्री मनोज कुमार चौहान 12वीं विज्ञान 02.01.1999	अविवाहित पुत्र	स्व. श्री जवरीलाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राउमावि, सिन्दरू, पाली	05.07.22	05.08.22	पाली
20	खेमचन्द चौधरी 12वीं विज्ञान 10.04.1986	पुत्र	स्व. श्री राधेश्याम अध्यापक राउप्रावि, हासपुर कलां, पं.स.–कोटकासिम, अलवर	31.01.18	05.03.18	अलवर
21	श्री प्रखर श्रीमाली 12वीं विज्ञान 14.01.2004	अविवाहित पुत्र	स्व. श्री नवीनचन्द्र दवे वरिष्ठ अध्यापक राउमावि, गोवाड़ी, सागवाड़ा, डूंगरपुर	04.08.22	08.09.22	डूंगरपुर
22	श्री निर्मल खोरवाल 12वीं विज्ञान 20.10.1998	पुत्र	स्व. श्री शंकर लाल वरिष्ठ अध्यापक रामावि, हिन्दोर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर	17.02.22	21.03.22	श्रीगंगानगर
23	श्री ओमप्रकाश 12वीं विज्ञान 15.02.2002	पुत्र	स्व. श्री हुक्माराम प्रबोधक राउप्रावि, चीलानाड़ी, सोहड़ा गिड़ा, बाड़मेर	24.12.21	10.02.22	बाड़मेर
24	श्री राकेश 12वीं विज्ञान 04.04.2004	पुत्र	स्व. श्री गणपतराम शा. शि. ग्रेड–III, राउमावि, जम्भेश्वर नगर लोहावट, जोधपुर	08.06.21	06.08.21	जोधपुर
25	श्री हर्षवर्धन 12वीं विज्ञान 15.02.2003	पुत्र	स्व. श्री मनोज कुमार प्रधानाचार्य राउमावि, ख्यावदा, बूंदी	10.07.20	25.08.20	बूंदी

नोटः– क्रम संख्या 11, 12 और 13 के प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा शिथिलन प्राप्त है।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते